कार्यालय, नगर परिषद, बरबीघा।

पत्रांक...102.../दिनांक...02/1/19

प्रेषकः–

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बरबीघा।

1415
01-03-19

सेवा में,

सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 621/2008–09 का अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय कार्यालय पत्रांक– 2009 दिनांक– 04.09.2018।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में सादर सूचित करना है कि नगर पंचायत, बरबीघा सम्प्रति नगर परिषद, बरबीघा का निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– – 621/2008–09 का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतू भेजी जा रही है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः–

कुल- 81 पन्ने अंकित है

विश्वासभाजन,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बरबीघा।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बरबीघा
(शेखपुरा)

कार्यालय, नगर परिषद, बरबीघा।

पत्रांक 102 / दिनांक 02/01/19

प्रेषक:–

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बरबीघा।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
सामाजिक प्रेक्षत्र–1,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना' 800001।

विषय:– निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 621/2008–09 का अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में सादर सूचित करना है कि नगर पंचायत, बरबीघा सम्प्रति नगर परिषद, बरबीघा का निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– – 621/2008–09 का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतू भेजी जा रही है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

01/03/19

कार्यालय, नगर परिषद, बरबीघा

निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 621/2008–09 का अनुपालन प्रतिवेदन

अंकेक्षण प्रतिवेदन कंडिकावार निम्न है।	अनुपालन
कंडिका 1. परिचय	:– सूचनात्मक
कंडिका 2. प्रशासन	:–सूचनात्मक
कंडिका 3. लेखा परीक्षा का क्षेत्र	:–सूचनात्मक
कंडिका 4. (क) पूर्वत्ती लेखा परीक्षा का क्षेत्र	:–सूचनात्मक
(ख) अनिष्पादित कण्डिकाऐं	:–सूचनात्मक
कंडिका 5.	:–सूचनात्मक
कंडिका 6.	:– अनुपालन किया जा रहा है।
कंडिका 7.	:– अनुपालन किया जा रहा है।
कंडिका 8.	:– अनुपालन किया जा रहा है।(साक्षय संलग्न है।)

अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

कंडिका 9. (i).(ii).(iii).(iv) :– अनुपालन किया जा रहा है। (साक्षय संलग्न है।)

अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

कंडिका 10 :–

31.03.08 का शेष में अंतर का कारण बैंक द्वारा चार्ज काटी गई थी जिसका लेखा कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया था जिसे दर्ज कर ली गई है।

अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

कंडिका 11(I) (परिशिष्ट III क–ग के अनुसार)

प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेज दी गई है। (साक्षय संलग्न है)

अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

कंडिका 11(II) :–

अनुपालन किया जा रहा है। (साक्षय संलग्न है।) अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

कंडिका 12. :– सूचनात्मक

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बरबीघा
(शेखपुरा)

कंडिका 13. :–

योजना का कार्यान्वयन शहरी क्षेत्र के नेबरहुड कमिटी एवं कम्युनिटी डेभलपमेंट सोसाईटी के माध्यम से किया जाना था, परन्तु नगर पंचायत, बरबीघा सम्प्रति नगर परिषद, बरबीघा में सामुदायिक समितियाँ गठित नहीं होने के कारण योजना का उद्देश्य की पूर्ति हेतू नियमानुसार विभागीय स्तर से कार्यो का कार्यान्वयन किया गया था।

कंडिका 14. :–

अंकेक्षण दल द्वारा दिए गए सुझाव के आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 का अध्याय–XI के धारा – 82 के अनुसार प्रत्येक वर्ष बजट प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। (विगत तीन वर्षो का बजट प्राक्कलन साक्ष्य के रूप में संलग्न है।) अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

कंडिका –15.

मकान कर– अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये सुझाव का अनुपालन किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि कार्यालय कर्मचारी की कमी के कारण वसूली कार्य संतोषप्रद नहीं था, सरकारी निदेश के आलोक में 4 प्रतिशत कमीशन पर कर संग्राहक से कर वसूलवाने के लिये विज्ञापन प्रकाशन कराया गया था। परन्तु एक भी व्यक्ति द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया। उसके बावजूद भी वर्त्तमान में कर वसूली का कार्य संतोषप्रद है। (साक्ष्य संलग्न है।) अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

कंडिका–16(1) प्राइवेट टैक्सी/मैक्सी स्टैण्ड की बन्दोवस्तीः–

अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये सुझाव का अनुपालन करते हुए बन्दोबस्तीदार श्री प्रेमप्रकाश चौधरी पिता–वृजमोहन चौधरी, ग्राम–बभनबीघा, प्रखंड–बरबीघा, जिला–शेखपुरा पर मो0– 26,500.00 (छब्बीस हजार पांच सौ) रू0 सूद सहित वसूली हेतू उनके विरूद्ध सर्टीफिकेट केस दायर किया गया है। (साक्ष्य संलग्न है।) अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

(3) प्राइवेट बस स्टैण्ड बरबीघा की वन्दोवस्तीः–

(A) वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्राइवेट बस स्टैण्ड,बरबीघा की सूरक्षित राशि मो0– 2,80,000.00 (दो लाख अस्सी हजार) रूपये निर्धारित की गई थी। जिसकी बन्दोबस्ती अवधि दिनांक 01.04.04 से 31.03.05 तक के लिये थी, परन्तु कतिपय कारणों से प्राईवेट बस स्टैंड की बन्दोवस्ती 31.03.2004 तक नहीं हो पाई। (जिसका साक्ष्य तात्कालीन अंकेक्षण दल को दिखाया गया था), सम्प्रति सरकारी राशि की वसूली भी आवश्यक थी, इसलिए कार्यालय में कार्यरत कर्मी द्वारा ही विभागीय स्तर से दैनिक वसूली कार्य दिनांक– 01.04.2004 से दिनांक– 30.06.2004 तक किया गया, जिसमें कुल मो0–63,125.00 (तिरसठ हजार एक सौ पच्चीस) रू0 मात्र की वसूली विभागीय स्तर से की गई। जबकि अंकेक्षण दल द्वारा 59,500.00 (उन्सठ हजार पांच सौ) रू0 मात्र की हानि की बात कही गई है। इस संबंध में कहना है कि सफल डाकवक्ता श्री महेश प्रसाद सिंह द्वारा दिनांक–01.07.2004 से 31.03.2005 तक कुल मो0– 2,20,200.00 (दो लाख बीस हजार पांच सौ) रू0 में बन्दोबस्ती की गई थी। जो

सफल डाकवक्ता द्वारा डाक की राशि सभी राशि मो0– 2,20,200.00 (दो लाख बीस हजार पांच सौ) रू0 कार्यालय में जमा कर दी गई।

इस प्रकार निर्धारित सुरक्षित राशि का निर्धारण मो0– 2,80,000.00 (दो लाख अस्सी हजार) रू0 मात्र के विरूद्ध कुल 63124.00 +220500.00=283624.00 (दो लाख तेरासी हजार छः सौ चौबीस) रू0 मात्र की राशि जमा किया गया ।जो निर्धारित सुरक्षित राशि से अधिक होती है। अतएव राजस्व की क्षति नहीं हुई है।

अतएव इसे स्वीकार करते हुए इस आपत्ति से मुक्त करने की कृपा की जाए।

(B) वर्ष 2005–06 में कुल सुरक्षित राषि 300000.00 तीन लाख रूप्ये निर्धारित की गई थी। तथा इसकी बन्दोवस्ती डाक में बोली लगाकर की गई थी। अंतिम बोली मो0– 303000.00 तीन लाख तीन हजार रूप्ये मात्र पर बन्दोवस्ती की गई है। इस प्रकार निर्धारित राषि से मो0– 3000/– अधिक पर बन्दोवस्ती की गई ।

अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

(C) वर्ष 2006–07 के बरबीघा बस पड़ाव की बन्दोबस्ती हेतू आम सूचना का प्रकाषन किया गया। जिसमें बन्दोवस्ती की तिथि दिनांक 03.04.06 निर्धारित की गई थी। परन्तु दिनांक 01.04.06 को ही श्री विनोद कुमार सिह अधिवक्ता सह अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ,षेखपुरा द्वारा एक वकालतन नोटिस दिया जिसकी प्रति माननीय मुख्यमंत्री पटना/माननीय मंत्री नगर विकास विभाग,पटना/मुख्य सचिव, पटना/ सचिव नगर विकास विभाग, पटना/ आयुक्त सह अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्रा0 ,मुगेंर/ समाहर्त्ता,षेखपुरा/उप विकास आयुक्त,षेखपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी,षेखपुरा को दिया गया। इस वकालतन नोटिस में प्राइवेट बस पड़ाव की बन्दोवस्ती क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अनुमति से किए जाने का जिक्र था। साथ ही साथ इनके द्वारा इस संबंध में जिला समाहर्त्ता, शेखपुरा के समक्ष एक विविध वाद सं0– 07/06 दाखिल की गई है।

ऐसी परिस्थिति में बस पड़ाव की वसूली रूक गई। हालांकि कार्यालय द्वारा वसूली कार्य कार्यरत क्षेत्रीय तहसीलदारों से वसूली कराने का आदेश निर्गत किया गया। जिसमें कर्मियों के द्वारा वसूली कार्य किया गया।

अतएव वर्ष 2006–07 में बस पड़ाव का खुला डाक नहीं हुआ तथा वर्ष 2005–06 में बन्दोवस्ती की गई राशि को ही आधार मानकर श्री कार्यानन्द शर्मा, तहसीलदार, नगर पंचायत, बरबीघा के माध्यम से वसूली कर जमा दिखाया गया है।

अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

17. <u>निर्धारित सूची का संषोधन करना</u>:– इस संबंध में नगर पचांयत, बरबीघा द्वारा कुल 23 वार्डो में से सिर्फ दस वार्डो का स्वकर निर्धारण योजना के तहत दोनों तहसीलदारों द्वारा फार्म प्राप्त कर लिया गया है। परन्तु वर्ष 2008 एवं वर्ष 2009 में दोनों तहसीलदार के सेवानिवृत होने के फलस्वरूप आगे का कार्य बाधित है।

ज्ञातव्य हो कि वर्तमान में नगर पंचायत, बरबीघा में दो स्थाई कर्मचारी ही कार्यरत है। इन्हीं दोनों के मदद से कार्यालय कार्य का निष्पादन किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भवन कर का पुर्णनिर्धारण करने में कठिनाई हो रही है।फिर भी भवन कर का निर्धारण कार्य किया जा रहा है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बरबीघा
(शेखपुरा)

अतः दिये गये सुझाव को स्वीकार कर अनुपालन किया जा रहा है।

अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

18. अतिरिक्त मुद्रांक शुल्कः—

इस संबंध में कार्यालय द्वारा अनुपालन किया गया है। (साक्षय संलग्न है।) अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

19. दैनिक मजदुरी पर अनियमित व्यय राषि 469984.00

नगर पंचायत, बरबीघा के अन्तर्गत कुल पांच सफाई मजदुरों का पद स्वीकृत है। यह पद वर्ष 1976 में स्वीकृत हुआ था, वर्तमान में सिर्फ तीन सफाई मजदुर स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत हैं जिसमें एक सफाई मजुदर की मृत्यू हो गई। एक सफाई मजदुर सेवानिवृत हो गए हैं। पुरे नगर पंचायत बरबीघा की कुल आबादी जनगणना 2001 के अनुसार कुल 38,200 है। इस शहर की जनसंख्या को देखते हुए इसकी सफाई तीन मजदुरों से सम्भव नहीं है। इसलिये समिति द्वारा सर्वमत से निर्णय लिया कि शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने हेतू अतिरिक्त दैनिक सफाई मजदुरों से शहर की सफाई कार्य करायी जाए। इसी निर्णय के आलोक में श्रम विभाग द्वारा जारी निदेश के आलोक में दैनिक मजदुरी का निर्धारित दर से दैनिक सफाई मजदुरों से शहर के प्रत्येक वार्ड में नियमित सफाई का कार्य कराया जाता है। यहॉ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है इस शहर की मुख्य सड़क को साफ रखना प्रथम प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखकर समिति के निर्णय के आलोक में दैनिक सफाई मजदुरों से सफाई कार्य कराया जाता है। विदित हो कि अंकेक्षण के समय कार्यरत सभी दैनिक सफाईकर्मी को अंकेक्षण दल के सामने बुलाकर सत्यापित भी कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि जनहित में इसे जनस्वास्थ्य मद में व्यय की गई राशि को आपत्ति से मुक्त करने की कृपा की जाए। क्योंकि शहर को साफ रखना ही इस कार्यालय का प्रथम कर्तव्य है। अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

20.**रौयाल्टी एवं बिक्रीकर की राषि जमा नहीं**ः—

योजना में काटी गई रॉयाल्टी एवं बिक्री कर की राशि को संबंधित शीर्ष में जमा कर दी गई है। (साक्षय संलग्न है।) अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

20—क— एच. रसीद की राषि मो0— 4032.00 दिनांक 25.10.08 को बैंक में जमाकर दिया गया है। (साक्षय संलग्न है।) अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बरबीघा
(शेखपुरा)

20–ख– विविध रसीद वही का बाकी रकम मो0– 2070.00 दिनांक 29.10.08 को बैंक में जमा करा दिया गया है। (साक्षय संलग्न है।) अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

लौगबुक संधारण नहीं:– नगर पंचायत, बरबीघा द्वारा वर्ष 2007–08 में नगर पंचायत, बरबीघा के अन्तर्गत पारिवारिक सर्वेक्षण सूची का कार्य कराया गया था। इस कार्य में कुल 171.70 ली0 डीजल स्थानीय बाजार से क्रय कर प्रखंड कार्यालय, बरबीघा स्थित जेनरेटर से तथा प्रखंड स्थित कम्प्यूटर से सूची का प्रकाशन का कार्य कराया गया था। जिसमें लगातार दिनांक 25.12.07 से 05.03.08 तक प्रथम सूची का प्रकाषन, फिर प्राप्त छुटे एवं संषोधन हेतू प्राप्त आवेदन प्राप्त कर पुनः अंतिम सूची का प्रकाषन का कार्य कराया गया था। सत्य तो यह है कि जो डीजल आता था, उसे खत्म हो जाने के बाद ही पुनः डीजल मंगाकर जेनरेटर में दिया जाता था, जेनरेटर में खपत डीजल के अनुरूप ही डीजल की आपूर्त्ति किया जाता था। चुकि जेनरेटर अपना नहीं था इसलिये इसके लिये लौगबुक का अलग से संधारण नहीं किया गया था। परन्तु आपके सुझाव के आलोक में लॉगबुक संधारण कर लिया गया है। जिसकी जांच की जा सकती है। (साक्षय संलग्न है।)

अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

23. अग्रिम पंजी का संधारण नहीं:–

असमायोजित अग्रिम का समायोजन कर लिया गया है। जिसका विवरण नीचे है:–

क्र.सं0 *योजना संख्या*	राशि	योजना का नाम	लौटाई गई राशि का M.R.No.
1. 24/05–06	7500.00	एकादश वित्त योजना	988 दि –01.09.07
2. 26/05–06	7500.00	एकादश वित्त योजना	988 दि.–01.09.07
3. 49/05–06	3000.00	एकादश वित्त योजना	554 दि.–22.04.06
4. 72/05–06	3000.00	एकादश वित्त योजना	565 दि.–28.04.06
5. 15/07–08	3000.00	बारहवीं वित्त योजना	256 दि.– 27.11.08
6. 43/07–08	7500.00	बारहवीं वित योजना	यह कार्य 10.11.09 को पुरा हो गया है।जिसमें अग्रिम का समायोजन कर दिया गया है।
7. 30/07–08	7500.00	एन.एस.डी.पी.	137 दि.–21.02.09
8. 27/03–04	4000.00	स्थानीय कोष	दि.–02.09.04 को कार्य पूर्ण हो गया, अग्रिम का समायोजन कर लिया गया है।
9. 28/03–04	4000.00	"	"
10. 30/03–04	2000.00	"	"

अग्रिम राशि का समायोजन योजना पंजी पर ही कर ली जाती है। (साक्षय संलग्न है।) अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

24. क्रियान्वित योजनाओं का भौतिक स्थिति:–

इस संबंध में कार्यालय द्वारा अनुपालन किया गया है। अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

21/1/15

25. योजना सं0–36/2004–05 (राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना कार्यक्रम):–

इस संबंध में कार्यालय द्वारा अनुपालन किया गया है। अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

26. योजना सं0–01/2006–07 (राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना कार्यक्रम):–

इस संबंध में कार्यालय द्वारा अनुपालन किया गया है। अतएव अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

27 से 30– सिविल वर्क्स:–

सिविल वर्क्स का कार्य विभागीय निदेश के आलोक में विभागीय स्तर से किया गया है। सभी कार्य पक्का हैं, भुगतान का आधार, किये गये कार्य का कनीय अभियंता द्वारा प्रस्तुत नापी पुस्तिका के आधार पर किया जाता है। जिसका सत्यापन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा किये जाने के पष्चात ही किया जाता है। इसलिये नापी पुस्तिका की जांच कर ही भुगतान किया जाता है। तथा इसके प्रमाण में भाउचर लगाया जाता है। चुकि सामग्री का क्रय एवं भुगतान संबंधित कार्य के अभिकर्ता द्वारा किया जाता है। अंकेक्षण दल द्वारा यह आपत्ति उठाया गया है कि एक ही नाम का व्यक्ति कभी मजदुर तथा कभी मिस्त्री के तौर पर भुगतान किया गया ।

इस संबंध में कहना है कि एक ही व्यक्ति मिस्त्री एवं मजदुर भी है, जरूरत के अनुसार जैसा काम लिया जाता है वैसा भूगतान किया जाता है। अतः इस आपति को निरस्त करने की कृपा की जाए।

भविष्य में योजनओं के कार्यान्वयन में अंकेक्षण दल द्वारा उठाए गए बिन्दु का कठोरता से अनुपालन किया जाएगा। अतः अनुरोध है कि इस उपरोक्त सभी आपत्ति को निरस्त करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बरबीघा।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बरबीघा
(शेखपुरा)